

कार्यालय: अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल, मेरठ।

पत्रांक 790/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/प0सं0-203/ढेके0पंजी/2018-19,दिनांक 03/2018

--:: कार्यालय-आदेश ::--

इस कार्यालय के आदेश पत्रांक 1776/ग्रा0अ0वि/ढेके0पंजी0/2015-16 दिनांक 17.03.2016 द्वारा मै0 कपिल कुमार (प्रो0 श्री कपिल कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह), निवासी-मं0न0-110, लक्ष्मीनगर, एस0के0 रोड, मेरठ का "सी" श्रेणी में किये गये पंजीकरण संख्या-203/2015-16 के नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा शासनादेश संख्या-3460/23-7-08-41 एम0एस0ए0/54टी0सी0 -III दिनांक 28.7.2008 के अनुसार आवश्यक कागजात प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप इनके पंजीकरण की वैधता 30.6.2021 तक के लिए बढ़ाई जाती है तथा तत्पश्चात वैधता स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

उक्त फर्म के हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 20-02-2020 एवं चरित्र प्रमाण पत्र की वैधता क्रमशः दिनांक 22.07.2021 तक है, जिनकी निरन्तरता/वैधता बनाये रखने का दायित्व संबंधित फर्म का होगा, चरित्र/हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता उक्त निर्धारित समय से पूर्व न बढ़ पाने की स्थिति में पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(अजय सिंघल)
अधीक्षण अभियन्ता,

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मै0 कपिल कुमार (प्रो0 श्री कपिल कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह), निवासी-मं0न0-110, लक्ष्मीनगर, एस0के0 रोड, मेरठ।
- 2-समस्त अधिशसी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ।

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
मेरठ परिमण्डल, मेरठ।